प्राक्कथन

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के दो भाग हैं। भाग-I में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं राजस्व विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं। राजस्व विभागों में राज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन, राज्य आबकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग सम्मिलित हैं। भाग-II में दो अध्याय हैं, अध्याय-I में उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूझान का विहंगावलोकन, राजस्व के बकाया का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन, लेखापरीक्षा के प्रति राजस्व विभागों की प्रतिक्रिया आदि सम्मिलित हैं। अध्याय-II में वित्त एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित प्रेक्षण सम्मिलित हैं जिसमें 'उत्तर प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस) के कार्यान्वयन पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा' से सम्बन्धित एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। भाग-II में उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) की अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण सम्मिलित हैं। भाग-II में दो अध्याय हैं, अध्याय-III में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश के कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन सरकारी विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के बारे में परिचय दिया गया है। अध्याय-IV में विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं, जिसमें एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा 'पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन' भी सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं, जो वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा में प्रकाश में आए, साथ ही वे भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में आए परन्तु जिन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। वर्ष 2022-23 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी जहाँ आवश्यक था, सम्मिलित किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।